भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *28
उत्तर देने की तारीख: 05.12.2023

**अन्य पिछड़े वर्गों हेतु पदों की समतुल्यता**

*28. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

**क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के अन्य पिछड़ा लेयर गैर-क्रीमी लेयर दर्जे का निर्धारण करने के प्रयोजन से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज़) में पदों की समतुल्यता निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन की तारीख, इस समिति के सदस्यों, इसकी आयोजित बैठकों की संख्या और इस संबंध में की गई सिफारिशों, यदि कोई हों, के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों के अभ्यावेदन को सुनने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार है, जिन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके गैर-क्रीमी लेयर के दर्जे को साबित करने के लिए वहां पदों की कोई समतुल्यता नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

**(क) से (ग):** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

**एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा "अन्य पिछड़े वर्गों हेतु पदों की समतुल्यता" विषय के बारे में पूछे गए तथा लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 28* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) और (ख):** सरकार के पास एक प्रस्ताव विचाराधीन है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्यों के पास राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती अथवा राज्य सरकार के संस्थानों में दाखिले में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं की एसईबीसी सूची बनाए रखने का अधिकार है। राज्य सरकारें राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती से संबंधित मामलों में राज्य पीएसयू पदों तथा राज्य सरकार के पदों के मध्य समानता निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं।

**(ग):** ऐसे उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस विषय से संबंधित विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

*****